कार्यालय उपनिदेशक फायर सर्विस आगरा परिक्षेत्र आगरा।

पत्रांक:2016/24701/एचटीएस/हाथरस/135/डीडी/18

दिनांक:सितम्बर 29 , 2016

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी,
जनपद हाथरस।

विषय– खसरा नं0–161, ग्राम अतुर्रा तहसील सादाबाद जनपद हाथरस पर एच0पी0सी0एल0 का नवीन रिटेल आउटलेट (फिलिंग स्टेशर) स्थापित करने हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ– आपका पत्र संख्याः 047/जि0पू0अ0/एन0ओ0सी0/15 दिनांकः 08.09.2015,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करे जिसके माध्यम से प्रश्नगत प्रस्तावित नवीन रिटेल आउटलट का अग्निशमन प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रस्तावित प्रश्नगत स्थल का स्थलीय निरीक्षण अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी हाथरस द्वारा सुसंगत मानकों के अनुसार किया गया तो उनकी संस्तुति आख्या दिनांकः 26.09.2016 एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी अलीगढ़ की परीशीलन संस्तुति आख्या दिनांकः 28.09.2016 का परीशीलन अद्योहस्ताक्षरी द्वारा किया गया तो निम्न विवरण पाया गया :–

भवन की संरचना–

कुल भूखण्ड एरिया 1296 वर्गमीटर

1–निर्मित भूतल कवर्ड एरिया 72.25 वर्गमीटर।

2–भवन की उचांई 02.10 मीटर।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी–प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 के **हाई हैजार्ड** श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढाचांगत व्यवस्था–

1–पहुॅच मार्ग–भूखण्ड के सामने मानचित्र में 43.58 मीटर रोड की चौडाई है।

2–प्रवेश/निकास द्वार– दो प्रवेश/निकास द्वार जिनकी चौडाई 12 जो मानक के अनुरूप है।

3–स्थल सड़क के मध्य से 18.30 मी0 की दूरी पर प्रस्तावित है।

4–परिसर के चारो तरफ 1.20 मी0 ऊँची ब्रिकवाल प्रस्तावित है।

5– 03 मी0 चौड़ी व 16 मी0 लम्बी बफर स्ट्रिप का प्राविधान प्रवेश/निकास मार्ग के मध्य प्रस्तावित है।

प्रस्तावित व्यवसायिक स्थल के मानचित्र में डिस्पेन्सिंग मशीन के चारों तरफ मोटेरेबुल सैटबेक अग्रभाग–09.00 मीटर, पृष्ट भाग–07.00 मीटर तथा दोनों साइड में 13.60 मीटर खुला स्थान दर्शाया गया है।

उपरोक्तानुसार भवन के सैटबैक विनियमावली के अनुसार है। सैटबैक सदैव अवरोधक मुक्त रखे जायेगे। सैटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण कार्य मान्य नही होगा।

अग्निसुरक्षा व्यवस्था– प्रस्तावित व्यवसायिक स्थल हेतु निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ प्रस्तावित की जाती है जो पूर्ण की जानी अनिवार्य होगी।

- ड्राई पांउडर टाइपएक्सटिंग्यूशर क्षमता 10 किग्रा0 – 02 अदद (प्रत्येक डिस्पेसिंग मशीन)
- सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 04.50 किग्रा0 – 02 अदद,
- एएफएफएफ फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 50 किग्रा0 – 01 अदद,
- पानी/बालू से भरी बाल्टी(गोल पैदे वाली) – 06–06 अदद,
- बालू का ढेर – 100 घन फिट,
- बेल्चा/फावडा – 01–01 अदद,
- वाटरजेल ब्लैकिट – 01 अदद
- धुम्रपान निषेध बोर्ड आवश्यकतानुसार
- आपातकालीन टेलीफोन नम्बरों की सूची

कमशः पेज–02 पर

RAKESH GUPTA
Dy. General Manager-Retail
and Duly Constituted Attorney of
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprise)

Place: Agra
Date: 05-03-2018

अन्य सुझाव/निर्देश :–

1. विद्युत तथा अन्य उपकरणों के तार धातु की पाइप जो स्पार्क प्रूफ हो से होकर गुजारे जायेगें। इसमें निरीक्षण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। बिजली के तारों के साथ ई.एल.सी.बी.(अर्थ लीकेज सर्किट ब्रकर) की व्यवस्था की जाएगी।
2. स्थल पर निकास लाइटनिंग/वेन्टीलेशन की व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।
3. पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण तथा अय उपकरणों जहॉ अर्थिंग की व्यवस्था की आवश्यकता हो तो पेट्रोलियम रूल्स 2002 के अनुरूप होनी चाहिए।
4. बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन एवं कन्ज्यूमर यूनिट में एम.सी.बी.(मेनियेचर सर्किट ब्रैकर) आईएस–8828 के अनुरूप होनी चाहिए।
5. पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण के समस्त निर्माण कार्य व उपकरण पेट्रोलियम रूल्स के मानकों के अनुरूप होने चाहिए।
6. कोई भी ऐसा पदार्थ या प्रकिया जो आग या स्पार्क पैदा करता हो का भण्डारण स्थल पर ले जाना सर्वथा वर्जित होगा।
7. ओवर हैड इलैक्ट्रिक लाइन प्रस्तावित स्थल के ऊपर से होकर नही गुजरनी चाहिए।
8. ओवर हैड इलैक्ट्रिक लाइन व प्रस्तावित स्थल के बीच की दूरी इण्डियन इलैक्ट्रिकसिटी रूल्स एवं रेग्यूलेशन के अनुरूप होनी चाहिए।
9. भण्डारण प्रागंण में कार्यरत समस्त स्टाफ का पेट्रोलियम पदार्थ की प्रकियाओं एंव उनके गुण दोषों के साथ अग्निशमन के उपकरणों के रख रखाव एवं उनके संचालन की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए।
10. भण्डारण प्रागंण की सफाई/हाउस कीपिंग उच्चकोटि की होनी चाहिए साथ ही स्थल पर अन्य किसी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ का भण्डारण सर्वथा वर्जित होगा।
11. मानिचत्र में दर्शाये गये समस्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
12. सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साईनेज स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।
13. पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन/इकाई में प्राविधानित की जाये।

अतः उपरोक्तानुसार खसरा नं0–161, ग्राम अतुर्रा तहसील सादाबाद जनपद हाथरस पर एच0पी0सी0एल0 का नवीन रिटेल आउटलेट (फिलिंग स्टेशर) स्थापित करने हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी प्रस्तावित प्राविधान विनियमावली तथा नेशलन बिल्डिग कोड ऑफ इण्डिया–2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराते हुए पेट्रोलियम एक्ट–1934 व पेट्रोलियम नियम–2002 तथा ओ.आई.एस.डी.–225 में उल्लेखित नियमों का कढाई से पालन किया जायेगा तथा भवन निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले व्यवसायिक स्थल पर अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानकों के अनुरूप भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा फिलिंग स्टेशन आउटलेट हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक–अनुमोदित मानचित्र

29-9-16

(समसनेही)
उपनिदेशक,फायर सर्विस
आगरा परिक्षेत्र, आगरा।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–मुख्य अग्निशमन अधिकारी अलीगढ़ को सचनार्थ प्रेषित।

2–स्वामी/प्रबन्धक मै/s एच.पी.सी.एल. ख.नं. 161, ग्राम अतुर्रा, तह. सादाबाद, हाथरस को सूचनार्थ

3–अग्निशमन अधिकारी हाथरस।

RAKESH GUPTA
Dy. General Manager-Retail
and Duly Constituted Attorney of
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprise)

Place: Agra
Date: 05-03-2018